दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात/ अधिसूचना निर्गमित झालेल्या तथापि दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या प्राचार्य व अधिव्याख्याता (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) संवर्गातील पात्र अधिकाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणेबाबत.

**महाराष्ट्र शासन**
**शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,**
**शासन आदेश क्रमांक : भनिनि-२०२५/प्र.क्र.४६/प्रशा-२**
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक : २८ एप्रिल, २०२५.

**वाचा :-**

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४, दि.०२.०२.२०२४.

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८/सेवा-४, दि. ०२.०५.२०२४.

**प्रस्तावना :**

दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात/ अधिसूचना निर्गमित झालेल्या तथापि दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देणेबाबत संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तसेच त्याकरिता अवलंबायची कार्यपध्दती संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर निर्णयानुसार, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा,गट- अ (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) व महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा), गट- ब या संवर्गातील दि.०१/११/२००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात आलेल्या तथापि दि.०१/११/२००५ रोजी वा त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या प्राचार्य आणि अधिव्याख्याता यांचे जूनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणेबाबतचे अर्ज/विकल्प शासनास प्राप्त झाले आहेत.

२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जाहिरात क्र.५, दि. २०.०२.२००३ अन्वये, प्राचार्य, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा,गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जाहिरात क्र. १,

१५(३)/(१)/२०१६/दहा, दि. ०८.०४.२००४ अन्वये अधिव्याख्याता, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या पदाच्या सरळसेवा भरतीसाठी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर जाहिरातीस अनुसरुन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार पात्र उमेदवारांना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात प्राचार्य, गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) व अधिव्याख्याता, गट-ब (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा), या पदावर नियुक्ती देण्यात आली आहे.

३. सबब, उपरोक्त परिच्छेदात नमूद जाहिरातीस अनुसरुन नियुक्ती देण्यात आलेल्या प्राचार्य आणि अधिव्याख्याता यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ०२.०२.२०२४ मधील तरतूदी पुर्ण करित असल्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेश देण्यात येत आहेत :-

**शासन आदेश**

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत खालील विवरणपत्रात नमूद करण्यात आलेल्या, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा,गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या संवर्गातील प्राचार्य व महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा), गट-ब या संवर्गातील अधिव्याख्याता या पदावर नियुक्ती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक ०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदी पुर्ण करीत असल्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम,१९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा,गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या संवर्गातील प्राचार्य या पदावर नियुक्ती दिलेले अधिकारी

| अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव | मूळ संवर्ग | अर्ज प्राप्त दिनांक |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ५ |
| १) | श्री.सागर रामचंद्र व्हटकर **(से.नि.)** | प्राचार्य | २२/०७/२०२४ |

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा), गट-ब या संवर्गातील अधिव्याख्याता या पदावर नियुक्ती दिलेले अधिकारी

| अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव | मूळ संवर्ग | अर्ज प्राप्त दिनांक |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ५ |
| १) | रत्नमाला पांडुरंग खडके | अधिव्याख्याता | २८/०२/२०२४ |
| २) | वैशाली रघुनाथ कांबळे | अधिव्याख्याता | २२/०२/२०२४ |
| ३) | सुशील सुरेश शिवलकर | अधिव्याख्याता | ०१/०८/२०२४ |
| ४) | इरफान अब्दुलअजीज इनामदार | अधिव्याख्याता | १२/०३/२०२४ |
| ५) | अरुण पांडुरंग पाटील | अधिव्याख्याता | ०९/०२/२०२४ |

| अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव | मूळ संवर्ग | अर्ज प्राप्त दिनांक |
|---|---|---|---|
| ६) | शिवाजी नाना औटी | अधिव्याख्याता | ०४/०३/२०२४ |
| ७) | वैशाली बाबुराव जहागीरदार | अधिव्याख्याता | २२/०२/२०२४ |
| ८) | बबन मारुती वसेकर **(से.नि.)** | अधिव्याख्याता | ०१/०७/२०२४ |
| ९) | मंजुषा सुधाकरराव क्षीरसागर | अधिव्याख्याता | २६/०२/२०२४ |
| १०) | मनिषा रमेश पवार | अधिव्याख्याता | २३/०२/२०२४ |
| ११) | सुदर्शन श्रीनिवासराव चिटकुलवार | अधिव्याख्याता | २६/०२/२०२४ |
| १२) | पवन रमेश मानकर | अधिव्याख्याता | २२/०७/२०२४ |
| १३) | मारोती संग्राम गायकवाड | अधिव्याख्याता | २७/०२/२०२४ |
| १४) | चंद्रकांत दोधु साळुंखे | अधिव्याख्याता | २२/०२/२०२४ |
| १५) | प्रेमाला शिवलिंग खरटमोल | अधिव्याख्याता | २६/०२/२०२४ |
| १६) | संजयकुमार गुणवंतराव मेश्राम | अधिव्याख्याता | २७/०२/२०२४ |
| १७) | विनोद वामनराव राख **(से.नि.)** | अधिव्याख्याता | २२/२/२०२४ |
| १८) | ज्योती भास्करराव कुलकर्णी | अधिव्याख्याता | २६/०२/२०२४ |
| १९) | हेमलता मधुकर बांबल | अधिव्याख्याता | २२/०२/२०२४ |
| २०) | नरेश महादेव वैद्य | अधिव्याख्याता | ०७/०२/२०२४ |
| २१) | सतीश बबनराव फरांदे | अधिव्याख्याता | ०६/०२/२०२४ |
| २२) | मनीषा शंकरराव देवरे | अधिव्याख्याता | ०४/०३/२०२४ |
| २३) | प्रभा बाळकृष्ण खरटमोल | अधिव्याख्याता | २३/०२/२०२४ |
| २४) | गंगा शिवाप्पा मेनकुदळे | अधिव्याख्याता | ०४/०३/२०२४ |
| २५) | प्रकाश रामराव मांन्टे | अधिव्याख्याता | २२/०२/२०२४ |
| २६) | दशरत बाबुराव साळुंखे **(से.नि.)** | अधिव्याख्याता | २३/०२/२०२४ |
| २७) | रामभाऊ राजारामजी सोनारे | अधिव्याख्याता | २०/०२/२०२४ |
| २८) | सुनिता जोगराम राठोड | अधिव्याख्याता | ०६/०२/२०२४ |
| २९) | कविता सतिशराव बुरघाटे | अधिव्याख्याता | २६/०२/२०२४ |
| ३०) | वर्षा विजय मोरे | अधिव्याख्याता | २२/०२/२०२४ |
| ३१) | सीमा मोहन इंगळे | अधिव्याख्याता | १२/०३/२०२४ |
| ३२) | लक्ष्मण गंगाराम सुपे | अधिव्याख्याता | १३/०२/२०२४ |
| ३३) | वैशाली राजेंद्र भोई | अधिव्याख्याता | ०१/०३/२०२४ |
| ३४) | देवानंद गुणवंतराव सावरकर | अधिव्याख्याता | २२/०४/२०२४ |
| ३५) | नीता चरणदास कांबळे | अधिव्याख्याता | ०९/०२/२०२४ |
| ३६) | विनीत तुकाराम मत्ते | अधिव्याख्याता | २३/०२/२०२४ |
| ३७) | भागीरथी नारायणराव गिरी | अधिव्याख्याता | २६/०२/२०२४ |
| ३८) | जयश्री ताराचंद पाटील | अधिव्याख्याता | २१/०२/२०२४ |
| ३९) | प्रमोद रामकृष्ण कुमावत | अधिव्याख्याता | ०६/०२/२०२४ |
| ४०) | डॉ.श्रीशैलप्पा मलप्पा कामशेट्टी | अधिव्याख्याता | ०१/०३/२०२४ |
| ४१) | गिरीश एकनाथ बोरसे | अधिव्याख्याता | २७/०२/२०२४ |

| अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव | मूळ संवर्ग | अर्ज प्राप्त दिनांक |
|---|---|---|---|
| ४२) | सरिता मंगेश अरुण | अधिव्याख्याता | १४/०२/२०२४ |
| ४३) | सूचिता ताराचंद पाटील | अधिव्याख्याता | २२/०२/२०२४ |
| ४४) | ममता माधवराव पवार | अधिव्याख्याता | १६/०२/२०२४ |
| ४५) | संघप्रिया सुर्यभान वाघमारे | अधिव्याख्याता | १४/०२/२०२४ |
| ४६) | राजेंद्र भिमराव महाजन | अधिव्याख्याता | ०१/०३/२०२४ |
| ४७) | विद्या झुंजारराव कदम | अधिव्याख्याता | ०८/०२/२०२४ |
| ४८) | योगेश श्रीरंग सुरवसे | अधिव्याख्याता | ३०/०४/२०२४ |
| ४९) | अनिल संभाजी मुरकुटे | अधिव्याख्याता | २६/०२/२०२४ |
| ५०) | संजयकुमार खंडू नवले | अधिव्याख्याता | ०५/०२/२०२४ |
| ५१) | अभय विजयसिंह परिहार | अधिव्याख्याता | २६/०२/२०२४ |
| ५२) | प्रविणकुमार विठ्ठलराव पाईकराव | अधिव्याख्याता | १४/०२/२०२४ |
| ५३) | सुवर्णा शिवाजी तोरणे | अधिव्याख्याता | २३/०२/२०२४ |
| ५४) | राजकुमार प्रल्हाद अवसरे | अधिव्याख्याता | २२/०२/२०२४ |
| ५५) | दीपक रामचंद्र साबळे | अधिव्याख्याता | २२/०२/२०२४ |
| ५६) | जयश्री कैलासराव आठवले | अधिव्याख्याता | १२/०२/२०२४ |
| ५७) | धनंजय गोविंदराव चापले | अधिव्याख्याता | २३/०२/२०२४ |
| ५८) | प्रतिभा वामनराव भावसार | अधिव्याख्याता | २२/०२/२०२४ |
| ५९) | अपर्णा अविनाश शंखदरबार | अधिव्याख्याता | २२/०२/२०२४ |
| ६०) | मनीषा विठ्ठल ताठे | अधिव्याख्याता | २०/०२/२०२४ |
| ६१) | वर्षा राजेंद्र कांबळे | अधिव्याख्याता | ०९/०२/२०२४ |
| ६२) | शोभा संभाजीराव मोकले | अधिव्याख्याता | २२/०२/२०२४ |
| ६३) | कल्पना तुकाराम बानकर | अधिव्याख्याता | २७/०२/२०२४ |
| ६४) | विकास ब्रम्हदेव सलगर | अधिव्याख्याता | २६/०२/२०२४ |

२. वरील अधिकाऱ्यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय विहित मुदतीत सादर केलेला आहे.

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ०२.०२.२०२४ नुसार, वरील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यात येत आहे.

४. उक्त विवरणपत्रातील अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्यात येत असल्यामुळे त्यांचे नव्याने भविष्यनिर्वाह निधी (GPF) खाते तात्काळ उघडण्यात यावे. तसेच, वरील अधिकाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) मधील खाते बंद करुन, त्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम देय/अनुज्ञेय व्याजासह संबंधितांच्या नव्याने उघडण्यात आलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी खात्यात जमा करावी.

५.	सद्य:स्थितीत कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त प्राचार्य आणि अधिव्याख्याता यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्यातबाबत संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये वित्त विभागाने विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

६.	या अनुषंगाने आवश्यक त्या कार्यवाहीकरीता संबंधित जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांचे प्राचार्य यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

७.	सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२५०४२८१२०३५१०६२१ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD

Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 2.5.4.20=190ce31a764c50caee9a11b81ac560fc0d85bb0ebc377f46c4fc0040aae47135, postalCode=400032, st=Maharashtra, serialNumber=05AE42076719D0FCE5DC8ACF3A44FBA50819DD0D088B25A2D0D7CDE0256A48B0, cn=DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD
Date: 2025.04.28 13:07:48 +05'30'

**(ज्ञानेश्वर आव्हाड)**

**कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन**

**प्रति,**

१. मा. राज्यपालांचे सचिव
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई
४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई
७. मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव
९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव
१०. मा. मंत्री ( शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक
११. प्रधान सचिव ( शालेय शिक्षण विभाग ) यांचे स्वीय सहायक
१२. आयुक्त ( शिक्षण ), महाराष्ट्र राज्य , पुणे
१३. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नीरोड , मुंबई
१४. सहसचिव/उपसचिव (विद्यार्थी विकास/शाळा व्यवस्थापन /शिक्षक शिक्षकेत समन्वय / अर्थसंकल्प /क्रीडा ) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई
१५. सर्व शिक्षण संचालक
१६. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे
१७. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक
१८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद
१९. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक /योजना )
२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी

२१. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक ( प्राथमिक / माध्यमिक )
२२. संबंधित अधिकारी (आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत)
२३. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय , मुंबई
२४. निवड नस्ती, प्रशा -२